न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–05/2013/भीलवाड़ा (2013/00027)

1. नन्दलाल पुत्र उदयलाल तेली, निवासी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. उदयलाल पुत्र चौथूमल तैली, नि0 बनेड़ा, तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
2. शंकरलाल पुत्र रामलाल गुर्जर, नि0 पालड़ी, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
4. भारतीय स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बनेड़ा, जरिये प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बनेड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 17.12.2012 अंतर्गत अपील संख्या 598/2012.

उपस्थितः–

1. श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 19.4.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि । अपीलांट ने प्रथम अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में नामांतकरण संख्या 2899 दिनांक 30.5.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह ग्राम बनेड़ा में स्थित आराजी खसरा नंबर 953, 954, 955,956,970,971 किता 6 रकबा 6.08 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व वाद संख्या 83/2009 उदयलाल बनाम नंदलाल दायर किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये थे । उक्त स्थगन आदेश के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में स्थानातंरित कर दी तथा रेस्पो0

संख्या 3 ने नामांतकरण संख्या 2899 दिनांक 30.5.2012 को संस्थित कर दिया । अतः तथाकथित नामांतकरण अपास्त किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.2012 द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस विवादित आराजियात का काबिज खातेदार काश्तकार है । विवादित आराजियात बाबत् रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 83/09 उदयलाल बनाम नंदलाल प्रस्तुत कर रखा है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा ने यथास्थिति के आदेश प्रदान किये थे परन्तु इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को बैचान कर दी तथा रेस्पो0 संख्या 3 ने विवादित आराजियात बाबत् राजस्व न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहने के बावजूद तथाकथित नामांतकरण संख्या 2899 दिनांक 30.5.2012 को पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् वाद के विचाराधीन रहते तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था । यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश होने से रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को किया गया विक्रय भी प्रभावशून्य है । अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट की अपील अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 17.12.2012 एवं नामांतकरण संख्या 2899 दिनांक 30.5.2012 को अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि तहसीलदार, बनेड़ा द्वारा संस्थित नामांतकरण संख्या 2899 दिनांक 30.5.2012 उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में राजस्व वाद संख्या 30/2010 में पारित स्थगन आदेश के प्रभावी रहते पारित किये जाने से अपास्त योग्य है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, बनेड़ा ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 2899 पारित करते समय भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में दिनांक 25.5.2012 को स्थगन आदेश निरस्त होने का अंकन किया है जबकि तथाकथित नामांतकरण संख्या

2899 दिनांक 30.5.2012 को तस्दीक किया गया है । अर्थात् नामांतकरण 2899 की स्वीकृति दिनांक 30.5.2012 को विवादित आराजियात बाबत् किसी भी राजस्व न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था तथा अपीलांट अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में भी पूर्णतया असफल रहा है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है ।

5- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 17.12.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 05/2013 (2013/00027) बउनवानी उदयलाल बनाम नंदलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 598/2012 बउनवान उदयलाल बनाम नंदलाल में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 19.4.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर